# न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
## पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या** - 30/2025 अपील (GCMS 2025/30)
**पंजीयन दिनांक**- 17/03/2025
**निर्णय दिनांक**- 01/04/2026

1. श्रीमती शांतादेवी पुत्री अर्जुन उर्फ उरजन जाट, निवासी सिंहाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती रूपीबाई बेवा अर्जुन उर्फ उरजन जाट, निवासी सिंहाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

**-अपीलांट्स**

**बनाम**

1. श्री नारायण पिता शोभालाल, मु.ब. अर्जुन उर्फ उरजन जाट, निवासी सिंहाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरपंच ग्राम पंचायत सिंहाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

**-रेस्पोडेंट्स**

उपस्थितिः-

1. श्री भगवतीलाल जैन - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवतसिंह शक्तावत - अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 19.02.2025

## निर्णय

दिनांक 01/04/2026

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 19.02.2025 के विरूद्ध दिनांक 04.03.2025 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 1402 निर्णय दिनांक 01.10.2010 ग्राम पंचायत सिंहाना, तहसील राशमी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि मौजा सिंहाना, तहसील राशमी के तत्कालीन खातेदार अपीलांट्स द्वारा आराजी नम्बर 69, 819, 1135/1, 1559/5, 1560, 1569, 1571, 1572, 1574, 1575, 2135/2, 2548/50, 2551/2101, कुल किता 13 कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा, एवं आराजी संख्या 22, 114, 127, 128, 131, 141, 143, 144, 145, कुल किता 9 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा का ग्राम पंचायत, सिंहाना द्वारा उक्त नामांतरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किए बगैर मनमकसूद तरीके से अपीलांट्स के खाते में रेस्पोडेंट संख्या 1 का कोई हक अधिकार नहीं होने के उपरांत भी मुतबन्ना उरजनलाल उर्फ अर्जुनलाल बताकर नामांतरकरण फैसल कर दिया इस प्रकार ग्राम पंचायत, सिंहाना ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामांतरकरण तस्दीक किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 नारायणलाल को उरजनलाल उर्फ अर्जुनलाल ने अपने जीवनकाल में कभी भी गोद पुत्र नहीं रखा स्वर्गीय उरजनलाल उर्फ अर्जुनलाल के एक पुत्री शांताबाई एवं पत्नि रूपीबाई है, जो अपीलांट्स है। अतः उक्तानुसार नामांतरकरण संख्या 1402 दिनांक 01.10.2010 को निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात खाता संख्या 476 एवं 477 में स्वर्गीय उरजनलाल उर्फ अर्जुनलाल के संपूर्ण हिस्से में अपीलांट्स का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 19.02.2025 से अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.02.2025 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- ***"तहसीलदार, राशमी को आदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत, सिंहाना द्वारा निर्णित नामांतरकरण संख्या***

*1402 निर्णय दिनांक 01.10.2010 को अपास्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार अर्जुनलाल पिता लाला जाट, निवासी सिंहाना का वारिसान नामांतरकरण शांतादेवी पुत्री अर्जुनलाल हिस्सा 1/3, रूपीबाई बेवा अर्जुनलाल हिस्सा 1/3, नारायणलाल पुत्र शोभालाल दत्तक पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह सह खातेदार के नाम दायर किया जावें।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई हैं।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतीलाल जैन उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतसिंह शक्तावत उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 25.03.2026 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 को अर्जुनलाल उर्फ उरजनलाल ने अपने जीवनकाल में कभी भी गोद नहीं लिया एवं न ही वह गोद पुत्र है। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी व्यक्ति के एक पुत्र है, तो वह दूसरी जगह गोद पुत्र नहीं जा सकता है, जिसका न्यायिक दृष्टांत अधीनस्थ न्यायालय में कल्याण बनाम नगा 2014 (1) आर. आर. टी. पेज नम्बर 624 प्रस्तुत किया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 1 नारायण पुत्र शोभालाल है, यदि वह गोद पुत्र होता तो शोभालाल के जनआधार में उसका नाम अंकित नहीं होता व अर्जुनलाल उर्फ उरजनलाल के नाम के साथ जुडा होता। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा स्व. अर्जुनलाल उर्फ उरजनलाल के विधिक वारिसान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बगैर अपने मनमकसूद तरीके से रेस्पोडेंट संख्या 1 को गोद पुत्र बताकर नामांतरकरण फैसल किया गया है, उचित नही है। उक्त वर्णित नामांतरकरण की कार्यवाही में अपीलांट्स को किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया

गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता शोभालाल द्वारा एक स्टाम्प पेपर लेकर उस पर अनरजिस्टर्ड हकत्याग करवाया गया, जिसकी जानकारी अपीलांट शांतादेवी को नहीं है, चूंकि जिस दिन स्टाम्प पेपर खरीदा गया, उसके 06 दिन पूर्व पिता की मृत्यु हुई उस समय वह घर पर थी, और न उसे जानकारी दी गई कि उक्त स्टाम्प पेपर पर क्या लिखा-पढी की गई है, मात्र यह कहा गया था कि तुम्हारे पिता के काज-करयावर के लिए उक्त स्टाम्प पेपर की आवश्यकता है। इस प्रकार उक्त स्टाम्प को लेकर शोभालाल द्वारा वर्णित नामांतरकरण खुलवाया गया, जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः 2014 (1) आर. आर. टी. पेज नम्बर 624 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में बताया कि मूल पुरूष अर्जुनलाल उर्फ उरजनलाल द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 को गोदपुत्र रखने से उनकी विरासत रेस्पोडेंट संख्या 1 को प्राप्त हुई है, उसके साथ ही स्वयं अपीलांट द्वारा एक हकत्याग विलेख दिनांक 09.09.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में नोटेरीशुदा होकर नामांतरकरण संख्या 1402 ग्राम पंचायत द्वारा वैधानिक जांच पडताल एवं कार्यवाही के बाद स्वीकृत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वैधानिक जांच पडताल एवं कार्यवाही के उपरांत अपने प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 19.02.2025 से उचित एवं नियमानुसार है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय किये जाने के क्रम में पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि मूल पुरूष अर्जुनलाल उर्फ उरजनलाल पिता लाला जाट के निधन के उपरान्त पटवारी द्वारा पारिवारिक सजरा अंकित करते हुए नामांतरकरण प्रस्तुत किया, जिसमें श्रीमती शांताबाई के जायन्दा पुत्री एवं श्रीमती रूपीबाई पत्नि होना जाहिर है। वक्त ग्राम सभा के बैठक में श्रीमती शांताबाई उपस्थित नहीं होने का

अंकन है, फिर भी श्रीमती शांताबाई हकत्याग प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न करती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से पत्रावली तलब की गई थी जिसमें उनके द्वारा पाया गया कि ग्राम विकास अधिकारी सिंहाना द्वारा नामांतरकरण तस्दीक करने के संबंध में केवल ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही की प्रमाणित प्रति ही होना बताया गया। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण में अपीलाधीन नामांतरकरण का अंकन ना होकर मात्र नामांतरकरण रजिस्टर में अंकन किया हुआ है। इसके अलावा कोई जांच की गई, नहीं पाया गया। यह स्थिति भी स्पष्ट करती है कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य नामांतरकरण पारित करने से पूर्व अपेक्षित जांच नहीं की गई, जो विधिक प्रावधानोनुसार अनुचित है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण को दर्ज करने, उसकी जांच करने व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान लागु होते है। उक्त नियमों के नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुए नामांतरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को नामातरकरण के संबंध में पूर्ण जांच उपरान्त नामांतरकरण तस्दीक करना होता है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत जांच एवं कार्यवाही संपादित नहीं की गई और अनरजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर बिना जांच उपरान्त नामांतरकरण पारित किया गया है, जो उचित एवं नियमानुसार नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में विवाद का प्रमुख बिन्दु अर्जुनलाल उर्फ उरजनलाल द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री नारायणलाल पिता शोभालाल को गोद लिया जाना तथा उसके संबंध में पारित पंजीकृत/अपंजीकृत गोदनामा का है, जिसके संबंध में उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 के तहत कोई भी दत्तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक देने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो। इसके अतिरिक्त किसी भी हिन्दु पुरूष को जो कि स्वस्थचित्त हो और अप्राप्तवय न हो यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावलीयों में कथित गोदनामा उपलब्ध नहीं है तथा न ही इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में विचेचन किया गया है।

विभिन्न प्रकरणों में उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा बार-बार यह प्रतिपादित किया गया है कि जब किसी गोदनामा से प्राकृतिक वारिसान को विरासत से वंचित किया जाता है तो ऐसी दस्तावेज प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई मानी जाती है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1925 की धारा 63 अनुसार सद्भावी व संदेह से परे (genuine and free from suspicion) सिद्ध करने का दायित्व गोदनामा के लाभार्थी का है। ऐसे दस्तावेज को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार संदेह से परे साबित करना आवश्यक है। नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में यह सम्भव नहीं है। इसके लिये गोदनामा के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके अधिकार की घोषणा करानी होगी।

जहां गोदपुत्र और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर कथित गोदनामा के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। गोद के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 को साबित करना होगा कि वह वाकई कानूनन गोदपुत्र बन सकता है या कानूनन गोदपुत्र है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक रेस्पोडेंट संख्या 1 को मृतक अर्जुनलाल उर्फ उरजनलाल की आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इस मामलें में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम भी लागु होता है। नियम 135 के तहत केवल उत्तराधिकार पर ही संबंधित ग्राम पंचायत/तहसीलदार इन्तकाल स्वीकृत कर सकते है। प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा कोई गोदपत्र के आधार पर अपने नाम से मृतक की भूमि का विरासत इन्तकाल करवाना चाहता है तो उसके लिए नियमित वाद किया जाना आवश्यक है जिससे प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को समुचित अवसर प्रदान किया जाकर साक्ष्य एवं सबुत के आधार पर गोद के बिन्दु को निर्णित किया जा सके। प्रावधित है कि नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये रेस्पोडेंट संख्या 1 को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 के तहत कोई भी दत्तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक देने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो। इसके अतिरिक्त किसी भी हिन्दु पुरूष को जो कि स्वस्थचित्त हो और अप्राप्तवय न हो यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले। इसके अतिरिक्त धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान अनुसार साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक कथित गोदपुत्र को प्राकृतिक वारिसान के विरुद्ध कोई हक नहीं मिल सकता है और नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में यह सम्भव नहीं है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण लागु होकर चस्पा होते है।

उपरोक्त स्थिति में हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को अनदेखा करते हुए एक त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो समर्थन योग्य नहीं है। परिणामतः **अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है** और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी का निर्णय दिनांक 19.02.2025 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक अर्जुनलाल उर्फ उरजनलाल पिता लाला जाट के विधिक वारिसान की समुचित जांच कर प्राकृतिक वारिसान के नाम नियमानुसार नामांतरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, राशमी को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
**अति. संभागीय आयुक्त,**
**उदयपुर**

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
**अति. संभागीय आयुक्त,**
**उदयपुर**